Title: Regarding crop insurance claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अधीन चुरू, नोहर-भादरा, रावतसर (हनुमानगढ) के अधीन खरीफ फसल वर्ष 2021 का बीमा क्लेम जारी करवाने की ओर दिलाना चाहूंगा । चुरू जिले के किसानों को खरीफ वर्ष 2021 का बीमा क्लेम भुगतान लगभग 200 करोड़ रूपये किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमानुसार क्रोप कटिंग के आधार पर किसान वही भुगतान 500 करोड़ रूपये लेने के हकदार है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीति साफ कहती है कि क्रोप कटिंग के डाटा बीमा कम्पनी के अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी व किसान के समक्ष हस्ताक्षरों सहित लिये गये हो तो उस क्रोप कटिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है । उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने State Level Technical Committee में बीमा कम्पनी की शिकायत दर्ज कर ली, जो किसानों के साथ अनुचित व्यवहार है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि चुरू क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा State Level Technical Committee के फैसले को रिवाइज करते हुए क्रोप कटिंग के आधार पर खरीफ फसल वर्ष 2021 का बीमा क्लेम जारी करवाने का श्रम कराया जाए ।